

मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी,
महाराजगंज।

महोदय,

दिनांक 30.05.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन "हर घर जल" कार्यक्रम फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी जिसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन की कार्यवृत्त तैयार कर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।


अधिसासी अभियेन्ता/सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
महाराजगंज।


मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
जनपद-महाराजगंज।

दिनांक 30.05.2026 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 30.05.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम. सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट इंजीनियर मेसर्स रिथविक-कोया (जे.वी.) महाराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-



(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा० उच्च न्यायालय एवं 4 मा० सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में FHTC प्रदान कर पेयजल से संतुष्ट कराने व पूर्ण हो चुकी योजनाओं को सूची सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर व सहायक अभियन्ता के नाम सहित मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु प्रतिमाह का लक्ष्य 50 योजना तक ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 200 योजनाओं को माह-जुलाई तक पूर्ण किया जा सके।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है:-

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के अन्तर्गत 341 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी-1 में 19 योजनायें, कटेगरी-2 में 37 योजनायें, कटेगरी-3 में 86 योजनायें, कटेगरी-4 में 29 योजनायें एवं कटेगरी-5 में 29 योजनायें हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 200 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह-जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी-1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैठक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JIM फेज-3):- कोया

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 2 परियोजना राजस्व विभाग/चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में FHTC प्रदान कर पेयजल से संतृप्त कराने व पूर्ण हो चुकी योजनाओं को सूची सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर व सहायक अभियन्ता के नाम सहित मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु प्रतिमाह का लक्ष्य 50 योजना तक ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 200 योजनाओं को माह-जुलाई तक पूर्ण किया जा सके।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है-

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुस्क्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के अन्तर्गत 205 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी-1 में 4 योजनायें, कटेगरी-2 में 6 योजनायें, कटेगरी-3 में 27 योजनायें, कटेगरी-4 में 21 योजनायें एवं कटेगरी-5 में 21 योजनायें हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 79 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह-जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी-1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैठक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0)- कोया/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):— रिथविक

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 2 परियोजनायें मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में FHTC प्रदान कर पेयजल से संतृप्त कराने व पूर्ण हो चुकी योजनाओं को सूची सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर व सहायक अभियन्ता के नाम सहित मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु प्रतिमाह का लक्ष्य 50 योजना तक ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 200 योजनाओं को माह-जुलाई तक पूर्ण किया जा सके।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है—

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के अन्तर्गत 174 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी-1 में 3 योजनायें, कटेगरी-2 में 19 योजनायें, कटेगरी-3 में 11 योजनायें, कटेगरी-4 में 38 योजनायें एवं कटेगरी-5 में 24 योजनायें हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 95 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह-जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी-1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैठक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:—परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) – रिथविक/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/यां0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(4) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:— डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है—

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	73	73	0
2	Ritwik	44	42	2
3	Koya	39	33	6
Total -		156	148	8

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे राजस्व ग्राम जिनके रोड रेस्टोरेशन का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है की सूची बनाते हुये कराये गये कार्यों की विडियोग्राफी अग्रिम बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त की कापी सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:— परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) मेसर्स आर0वी0एशोसिएट्स (जे0वी0) निप्पोन कोई DPMU:— अधोहस्ताक्षरी द्वारा डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर साथ भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्त प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करते हुये भूमि विवादों को अगली मासिक बैठक से पूर्व प्रकरण निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

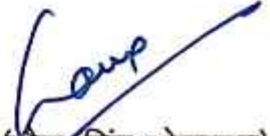
(कार्यवाही:— डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(6) अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०) खण्ड, जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा वि०/यॉ० खण्ड के सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वि०/यॉ० कार्यों से सम्बन्धित कार्यों का विवरण-जैसे विद्युत पोल, तार, ट्रांसफार्मर, विद्युत मीटर, विद्युत संयोजन/इनरजाईज आदि अधिष्ठापन की सूची अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिससे योजनाओं के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता तय करते हुये ससमय पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही:- अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

(7) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड को निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज के साथ बैठक कर अधिशासी अभियन्ता वि०/यॉ० खण्ड गोरखपुर से पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन/इनरजाईज के अधूरे कार्यों की प्राप्त सूची के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुये ससमय योजनाओं पर विद्युत संचालन अगली मासिक समीक्षा बैठक से पूर्व विशेष रूप अवशेष विद्युत संयोजन कार्य विद्युत मीटर के साथ अधिष्ठापित करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसी योजनायें जिनमें सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुकें जिसकी सूची जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी है उनमें विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति अविलम्ब पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही:- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज)


(गौरव सिंह सोगरवाल)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 1282/वि०/यॉ० 40/48 दिनांक: 15/06/2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

जिलाधिकारी
महाराजगंज।